न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2012

अपीलांट

1. शैतानसिंह पुत्र केरसिंहजी, जाति राव, आयु 48 वर्ष, पेशा नौकरी, खेती।
2. अर्जुनसिंह पुत्र केरसिंहजी, जाति राव, आयु 35 वर्ष, पेशा नौकरी, खेती।
3. भरतसिंह पुत्र केरसिंहजी जाति राव, आयु 28 वर्ष, पेशा खेती।
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र केरसिंहजी, जाति राव, आयु 25 वर्ष, पेशा खेती।
5. भंवरीकंवर बेवा श्री केरसिंह, जाति राव, आयु 65 वर्ष, पेशा खेती।
6. रसालकंवर पत्नी जोधसिंहजी, जाति राव, आयु 25 वर्ष, पेशा खेती व गृहणी, निवासी नारलाई, तहसील देसूरी, जिला पाली।
7. उमरावकंवर पत्नी वीरसिंहजी, जाति राव, आयु 40 वर्ष, पेशा खेती व गृहणी, निवासी कोरटा, तहसील बाली, जिला पाली।
8. गुलाबकंवर पत्नी जबरसिंहजी, जाति राव, आयु 32 वर्ष, पेशा खेती व गृहणी, निवासी बाली, तहसील बाली, जिला पाली।
9. पुष्पाकंवर पत्नी ईश्वरजी, जाति राव, आयु, 30 वर्ष, पेशा खेती व गृहणी, निवासी कारोली, तहसील आबूरोड, जिला सिरोह राज।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही।
2. श्री श्रवणसिंह राजावत तहसीलदार (तत्कालीन) शिवगंज जिला सिरोही
3. मूर्ति श्री सांवलाजी महाराज पोसालिया तहसील शिवगंज जरिय अध्यक्ष, देवस्थान बोर्ड, सिरोही जिला सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री हंसराज पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 05.08.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/10 (पुराना मुकदमा संख्या 31/01) बउनवान शैतानसिंह व अन्य बनाम सरकार मं पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2012 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के हद तक गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पोसालिया तहसील शिवगंज के खसरा नंबर 688 क्षेत्रफल 14 बीघा 17 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नही है। अपीलांटगण मौजा पोसालिया के खसरा नंबर 688 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा आराजी के खातेदार कृषक है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 688 पर श्री सांवलाजी महाराज पोसालिया की माफी जागीर के पुनःग्रहण के पूर्व श्री मूर्ति सांवलाजी की कभी भी खुदकाश्त नहीं रही है। त5था अपीलांट व उनके पूर्व रसाधिकारी स्व. श्री केरसिंहजी पुत्र ओबसिंहजी राव सा. पोसालिया तहसील शिवगंज उक्त वादग्रस्त आराजी पर बतौर टिनेन्ट काबिज है। अपीलांटगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने की दिनांक को तथा इसके पूर्व से मौजा पोसालिया के खसरा नंबर 988 पर बतौर टिनेन्ट काबिज काश्त है। उक्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जागीर पुर्नग्रहण के पूर्व कभी भी मूर्ति श्री सावंलियाजी महाराज के नाम की खुदकाश्त में दर्ज नहीं रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांटगण धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा से उक्त आराजी के खातेदार कृषक घोषित होने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को का कोई खंडन नही किया है। साथ ही रेस्पोडेन्टगण द्वारा कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नही होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री पारित करने में राजस्व मंडल अजमेर के पत्र क्रमांक/636–689 दिनांक 6.1.2010 के अनुसार जागीर अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज होने पर ही खातेदारो को पूण्र उतराधिकार योग्य एवं हस्तातंरित अधिकार प्राप्त होने का कथन किया है। जो सुस्थापित विधि के सर्वथा प्रतिकूल है। अपीलांट बतौर टिनेन्स धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार घोषित होने के विधि अनुसार हकदार है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किये बिना एवं सक्षम साक्ष्य या तर्को का खंडन किये बिना जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे। वकील अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये – (1) आर.आर.डी 1974 पेज नंबर 226 कैलाशचंद बनाम सरकार व प्रभुदयाल (2) आर.आर.डी 1965 पेज 395 लक्ष्मणसिंह बनाम केशरसिंह (3) आर.आर.डी 1988 पेज 373 रामचरन बनाम मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी (4) आर.आर.डी 1991 पेज नंबर 6 रामलाल व अन्य बनाम राजस्व मडल अजमेर व अन्य

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पोसालिया तहसील शिवगंज के खसरा नंबर 688 क्षेत्रफल 14 बीघा 17 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान जामबंदी संवत 2059 से 2062 में मंदिर श्री सांवलाजी ग्राम पोसालिया खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम पोसालिया तहसील शिवगंज के खसरा नंबर 688 क्षेत्रफल 14 बीघा 17 बिस्वा के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी के संबध में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 तहसीलदार शिवगंज ने धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जिला कलकटर सिरोही को रेफरेंस का प्रार्थना पत्र संख्या 16/97 प्रस्तुत किया, जिस पर अपनी आज्ञा दिनांक 30.09.99 द्वारा स्वीकार कर राजस्व मंडल अजमेर को अपीलांट के नाम खातेदार कृषक की एण्ट्री को खारिज कर मंदिर के नाम करने का निवेदन पर राजस्व मंडल अजमेर ने अपनी आज्ञा दिनांक 5.5.2000 द्वारा स्वीकार कर विवादित आराजी मूर्ति श्री सांवलाजी पोसालिया के नाम खातेदारी दर्ज कर करने का निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में जरिये नामान्तरकण संख्या 2096 दिनांक 17.06.2000 के द्वारा उक्त आराजी को मंदिर श्री सांवलाजी पोसालिया के नाम खातेदारी दर्ज की गई। वादग्रस्त भूमि जमाबंदी महकमा बंदोबस्त अनुसार जमीदार व खातेदार या कब्जेदार के कालम में मंदिर श्री सांवलाजी स्थान देह अंकित है तथा शिकमी व भावलियत में हुकमा वल्द पन्ना रावल सा.देह पुजारी अंकित है। वर्तमान जामबंदी संवत 2059 से 2062 में मंदिर श्री सांवलाजी ग्राम पोसालिया खातेदार दर्ज है। हस्तगत प्रकरण में जागीर अधिग्रहण के समय मंदिर श्री सावलाजी स्थान देह खातेदार अंकित है तथा शिकमी व भावलियत बतौर हुकमा वल्द वन्ना रावल सा. देह पुजारी अंकित है न कि पट्टेदार अथवा खादिमदार दर्ज है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज मंदिर मूर्ति शास्वत अवयस्क है। एवं पुजारी को पट्टेदार अथवा खादिमदार की श्रेणी मे नहीं माना जाने से अपीलांट वादग्रस्त आराजी को खातेदार घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 22/10

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(पुराना मुकदमा संख्या 31/01) बउनवान शैतानसिंह व अन्य बनाम सरकार मं पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2012 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली